राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः एफ 6(19)शिक्षा/ग्रुप–3/2021 जयपुर, दिनांक :–11.07.2022

–: आदेश :–

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उच्च शिक्षा के त्वरित विस्तार, विकास एवं सुगम संचालन की नीति के अंतर्गत **मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 79 दिनांक 07.07.2022 की अनुपालना में** नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन हेतु राजस्थान कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी (Raj-CES) के गठन की स्वीकृति एवं निम्नानुसार दिशा–निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जाते है :–

1. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उच्च शिक्षा के त्वरित विस्तार, विकास एवं सुगम संचालन की नीति के अंतर्गत नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन हेतु सोसायटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य में नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन एवं सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। साथ ही उक्त सोसायटी को आर्थिक रूप से सक्षम सुदृढ बनाया जा सकेगा।
2. सोसायटी का नाम **"राजस्थान कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी (Raj-CES)"** रहेगा।
3. उक्त सोसायटी द्वारा संलग्न **परिशिष्ठ–1** में अंकित नवीन महाविद्यालय तथा सोसायटी के अधीन सृजित पदों का संचालन किया जायेगा। इनके अतिरिक्त भविष्य में अन्य नवीन महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर, उन्हें भी राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद राजस्थान कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी (Raj-CES) के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जा सकेगा। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सोसायटी के स्तर पर पदों का सृजन, नियुक्ति/भर्ती वित्त विभाग की सहमति से ही की जावेगी तथा राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियम और स्टॉफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (RAPSAR Act.) की पालना सुनिश्चित की जावेगी। सोसायटी के अधीन सृजित पदों को "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022" में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत भरा जावेगा।
4. उक्त सोसायटी के अधीन संचालित महाविद्यालयों की भूमि व भवन, उपकरण कार्यरत स्टाफ को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। इन स्थानों पर महाविद्यालयों के निर्माण के लिए आवंटित भूमि, जो कि वर्तमान में कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीन है, के माध्यम से स्वामित्व भी सोसायटी के नाम से हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
5. इन सभी नवीन महाविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ यथा–शैक्षणिक व अशैक्षणिक की सेवाएं सोसायटी को प्रतिनियुक्ति पर दी जायेगी। परन्तु उनकी सेवाऐं राजस्थान सेवा नियम (RSR) व संबंधित सेवा नियमों अन्तर्गत राज्य सेवक के रूप में बनी रहेगी। राज्य सरकार पूर्व की भांति स्टाफ का वेतन भत्ते एवं महाविद्यालय के रख–रखाव हेतु किये जाने वाला व्यय सोसायटी को अनुदान (Grant) के रूप में देती रहेंगी। सोसायटी इन महाविद्यालयों का संचालन राज्य के अन्य राजकीय महाविद्यालयों के भांति करेगी। इस हेतु कार्मिकों कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। नवीन महाविद्यालयों के स्टाफ के वेतन भत्तों हेतु राज्य सरकार द्वारा "सोसायटी" को Gap funding के आधार पर ग्रांट उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति के लिये एक नीति/फार्मूला वित्त विभाग की सहमति से तैयार करायेगा। सोसायटी को ग्रांट पीडी खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
6. उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त सोसायटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं तकनीकी व अन्य कर्मचारी आदि भी रखने होगें। ये सभी सोसायटी के कर्मचारी होगें। इनके वेतन एवं भत्ते आदि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर तय करने की

अनुमति सोसायटी को दी जायेगी। सोसायटी के कार्मिकों के वेतन भत्ते किसी भी दशा में राज्य सरकार में नियुक्त समकक्ष कार्मिकों को देय वेतन भत्तों से अधिक नहीं होगें।

7. ये संस्था भविष्य में महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु निजी सहभागिता हेतु सीएसआर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ट्रस्ट एवं निजी संस्थाओं के सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार करेगी। निजी सहभागिता के माध्यम से महाविद्यालयों का संचालन राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।

8. राज्य सरकार कॉलेज शिक्षा विभाग को सोसायटी के गठन हेतु तथा सोसायटी को इन महाविद्यालयों के स्वामित्व को हस्तान्तरित करने एवं महाविद्यालय की जमीन, जो वर्तमान में कॉलेज शिक्षा विभाग के नाम है, हस्तान्तरित करने हेतु अधिकृत किया जावेगा। इस कार्य हेतु अब तक कॉलेज शिक्षा द्वारा कार्य यथा–महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व सबंधित विश्वविद्यालय से अपेक्षित सभी कार्यवाही पूर्ण करना, सोसायटी का बैंक में खाता खोलना इत्यादि का अनुमोदन प्रस्तावित है। कॉलेज शिक्षा विभाग इस संबंध में तत्सम्बन्धी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।

9. सोसायटी उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी।

10. राजस्थान कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी (Raj-CES) का संघ विधान पत्र (Memorandum of Association) का प्रारूप **(परिशिष्ठ–2)** संलग्न है।

JD P&C
13/7

592
13/7/22

JD(P&C)
13.7.22

707
13.7.22

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 79 दिनांक 07.07.2022 के संदर्भ में।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करवाकर कृपया प्रति तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
8. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव